रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270772
CG-DL-E-09032026-270772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947
No. 154]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 160(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग (निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियम,1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु0) ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रतिनियुक्तिः- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-12(78800-209200 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; अर्थात :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर्स डिग्री ; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री ; या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी अन्य विषय से हिंदी माध्यम में मास्टर्स डिग्री ; या

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ किसी अन्य विषय से अंग्रेजी माध्यम में मास्टर्स डिग्री ; और

(ग)(i) हिंदी में शब्दावली कार्य या अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का बारह वर्ष का अनुभव रखते हों ; या

(ii) हिंदी में शिक्षण या अनुसंधान लेखन या पत्रकारिता में बारह वर्ष का अनुभव रखते हों ; और

(iii) प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों में दस वर्ष का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्‌य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- केवल केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर आमेलन के लिए विचार किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 14034/24/2022-रा.भा.(प्रशि.)]

प्रेम नारायण, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

G.S.R. 160(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Official Language, (Director, Central Hindi Training Institute) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Director, (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director.	1(2025)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100- 215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications prescribed for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations,– (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:– (i) Master's degree from a recognized University or Institute in Hindi with English as a subject at the degree level ; or (ii) Master's degree from a recognized University or Institute in English with Hindi as subject at the degree level ; or (iii) Master's degree from a recognized University or Institute in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level; or (iv) Master's degree from a recognized University or Institute in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level ; and (c)(i) Twelve years experience of Terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature; or (ii) twelve years experience of teaching or research writing or journalism in Hindi ; and (iii) ten years experience in administration, establishment and accounts matters. **Note-1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note-2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note-3:** Only Officers of Central Government shall be considered for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Not applicable.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 14034/24/2022-OL (Trg.)]

PREM NARAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA